कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय मैनपुरी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 05-03-2022 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जनपद न्यायालय, मैनपुरी के परिसर पर स्थित निम्नलिखित दुकानों के ठेका हेतु नीलामी प्रक्रिया माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति-नासिर अहमद, अध्यक्ष समिति विशेष न्यायाधीश द.प्र.क्षे., पूनम राजूपत, सद्स्य समिति विशेष न्यायाधीश ई.सी एक्ट, अमित मिश्रा, सदस्य समिति सिविल जज प्रवर वर्ग की उपस्थिति व निर्देशन में दिनांक 22-03-2022, 29-03-2022 ,31-03-2022 व 07-04-2022 को अपराह्न 02.00 बजे से जनपद न्यायालय मैनपुरी के मीटिंग कक्ष में सम्पन्न की गई जिसमें ठेका दो पहिया वाहन स्टैंड व ठेका कैन्टीन ही उठ सका। अन्य ठेकों की नीलामी पुनः माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार दिनांक 15-04-2022 को अपरान्ह 3.00 बजे से जनपद न्यायालय मैनपुरी के मीटिंग कक्ष में सम्पन्न की जायेगी।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु अपने पहचान पत्र(आधार कार्ड, वोटर आई डी) के साथ उपस्थित हो।

नीलाम होने वाली दुकानो का विवरण

1	ठेका फोटोग्राफी	1
2	ठेका फोटोस्टेट	1
3	ठेका फल चाट, शिकंजी, बेल का जूस	1
4	ठेका पान सुपारी मसाला	1
5	ठेका उबला चना, आलू, मूंगफली, भुट्टा	1
6	ठेका मंजन, चूर्ण , तेल	1

नीलामी की शर्ते निम्नलिखित हैं

1- यह ठेका दिनांक 01-04-2022 से 31-03-2023 तक के लिए वैध होगा।

2 जिस ठेकेदार के यहां ठेके से सम्बन्धित कोई भी धनराशि किसी भी समय का बकाया है , उसको या उसके परिवार के सदस्यों को या प्रतिनिधि को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त भी कर लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त दुकान की पुनः बोली करा दी जायेगी।

3 नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में जमा करना होगी। बोलीकर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त ही बोली बोलने का अधिकार होगा।

4 जिसके पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत की जायेगी, उसे ठेके की 40 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा कराना होगी तथा शेष धनराशि 20-20 प्रतिशत की तीन त्रैमासिक किश्तों (प्रथम किश्त जून 2022 , द्वितीय किश्त सितम्बर 2022, तृतीय किश्त दिसम्बर 2022 तक) में जमा करना होगी। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और पुनः नीलामी करा दिया जायेगा और बकाया राशि भू राजस्व के रूप मे वसूल की जायेगी।

5 जिस ठेकेदार के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति अपनी दुकान स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपर्युक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार होने पर दुकान का ठेका निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।

6 ठेके की बोली स्वीकृत व अस्वीकृत करने की पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा तथा उनका निर्णय अन्तिम होगा माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकतम बोलीदाता का ठेका भी बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

7 जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 31 /एस दिनांकित 16-03-1998 में दी गई शर्तों के अनुसार बोली के पश्चात रूपये 100.00 का स्टैम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।

8 ठेकेदार को न्यायालय परिसर में स्थित अपने दुकान के पास साफ-सफाई स्वयं करनी होगी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं 139 दिनांकित 18-03-1979 के अनुसार प्रत्येक सामानों की दर सूची प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा सत्यापित कराकर ऐसे स्थान पर लगायी जायेगी जहां से प्रत्येक ग्राहक आसानी से देख सके।

9 माननीय जनपद न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को अधिकृत करके खाद्य पदार्थों की दुकानों का हर प्रकार से निरीक्षण करा सकेंगे

10 न्यायालय परिसर में जो स्थान दुकान करने हेतु दिया जायेगा , उसी स्थान में दुकान करना होगा।

11 न्यायायलय परिसर में पान के ठेकेदार तम्बाकू, सिगरेट बीडी तथा तम्बाकू से निर्मित सामग्री नही बेचेंगे, इस सम्बन्ध में उन्हे एक अंडरटेकिंग देनी होगी।

12 न्यायालय परिसर में ठेकेदार जो खाद्य सामग्री बिक्री करेंगे , वह खाद्य अपमिश्रण एक्ट के मानको के अनुरूप होगी तथा कोई भी ठेकेदार अपमिश्रित खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करेगा।

13 न्यायालय परिसर में वर्तमान समय में चल रहे कोविड -19 के बचाव हेतु माननीय उच्च न्यायालय एवं शासनादेशों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन ठेकेदारों द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।

14 किसी भी दुकानदार द्वारा ठेके पर दुकान प्राप्त करने के प्रयोजन के अलावा अन्य किसी कार्य हेतु दुकान का प्रयोग या उपयोग नहीं किया जायेगा और न ही किसी अवैध कार्य में प्रयोग तथा क्रिया कलाप में संलिप्त रहेगा।

15 उपरोक्त शर्तों में किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी व्यक्ति के दुकान का ठेका निरस्त कर दें या पुनः नीलामी करा दें और शासकीय नुकसान की बसूली उसके द्वारा या उसके सम्पत्ति से करा दें।

दिनांकः 08, अप्रैल 2022

8/4/22

(नासिर अहमद)

अध्यक्ष,नीलामी समिति/

विशेष न्यायाधीश द. प्र.क्षे./

मैनपुरी